(ग) चूंकी वेतनमानों के संशोधन से उठ खड़े हुए कुछ मामलों पर कुछ विवाद था अतः यह विवाद दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबन्धकों ने एक मध्यस्थ को सौंप दिया था। मध्यस्थ ने अपना अधिनिर्णय मार्च, 1977 में दे दिया है और यह प्रबंधकों के विचाराधीन है।

Industrial Licensing Policy

448. SHRI K. A. RAJAN:

SHRI M. KALYANASUNDARAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a new industrial licensing policy has been evolved by Government; and

(b) if so, the salient features and objectives thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). The basic features of the industrial policy of the new Government relate to the objective of generating maximum possible employment in the industrial sector leading to optimum socio-economic benefits in the circumstances obtaining in our country and the decentralisation of economic power through strengthening the cottage and small scale industries based on the use of appropriate technologies. Operational details of the new industrial policy would be worked out in due course of time.

जेल नियमावली को उदार बनाने के लिए राज्यों को अनुदेश

449. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों और विचाराधीन बन्दियों के साथ निर्दयतापूर्वक अमानवीय ढंग से बर्ताव करने की प्रथा स्वतन्त्रता के बाद भी जारी है ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पकड़े गये विख्यात राजनीतिज्ञों, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बुद्धिजीवी व्यक्तियों को हथकड़ियां और बेड़ियां डाली गई थीं ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को जेल नियमावलियों को उदार बनाने हेतु उनमें परिवर्तन करने के अनुदेश दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के अनुदेश देने का है कि सभ्य तथा जिम्मेदार व्यक्तियों को विचाराधीन बन्दियों के रूप में न्यायालयों, जेलों तथा अन्य स्थानों पर ले जाते समय हथकड़ियां न डाली जायें ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (घ) तक. इस संबंध में 8-11-1974 को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये थे कि पुलिस द्वारा सामान्यतः हथकड़ियों का प्रयोग केवल वहां किया जाये जहां कैदी हिंसक, उत्पाती और विघ्नकारी हो अथवा जिसके बचकर भाग निकलने अथवा आत्म हत्या करने की सम्भावना हो अथवा जिस पर अमानवीय गम्भीर अपराध का अभियोग लगाया गया हो। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि कैदियों को अन्धाधुन्ध हथकड़ी लगाना अपराधियों के साथ व्यवहार की आधुनिक धारणा के प्रतिकूल है और सत्याग्रहियों, सार्वजनिक जीवन में अच्छी स्थिति रखने वाले व्यक्तियों और पेशेवरों जैसे पत्रकारों, विधिवेत्ताओं, डाक्टरों, लेखकों, शिक्षाविदों आदि जैसे बंदियों को सामान्यतः हथकड़ी लगाने का कोई अवसर नहीं होना चाहिये। यदि कोई विशिष्ट शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो उस पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया जायेगा।